न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **133/2013**

दायर दिनाँक **21.06.2013**

वादी		प्रतिवादीगण
1. रामचन्द्र पुत्र स्वर्गीय घनश्याम, उम्र—55साल, जाति—ब्राह्मण शर्मा, निवासी—मौलासर, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. हीरालाल पुत्र स्वर्गीय घनश्याम, उम्र—66साल, जाति—ब्राह्मण शर्मा, निवासी—मौलासर, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 2. रामचन्द्र पुत्र स्वर्गीय पुसाराम, 3. गोपालराम पुत्र स्वर्गीय पुसाराम, 4. राजेन्द्र पुत्र स्वर्गीय पुसाराम, 5. सोनीदेवी पत्नी स्वर्गीय पुसाराम, 6. नेमीचन्द पुत्र धन्नाराम, समस्त,जाति—जाट, निवासी—छोटी लोसल, तहसील—धोद, जिला—नागौर, राजस्थान, 7. भागीरथराम पुत्र स्वर्गीय हेमाराम, 8. हनुमानाराम पुत्र स्वर्गीय हेमाराम, समस्त,जाति—जाट, निवासी—गैलासर, तहसील—मकराना, जिला—नागौर, राजस्थान, 9. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 53, 188, R.T.Act.

उपस्थित:—

1. पक्षकारान्।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 133/2013
दायर दिनाँक 21.06.2013, निर्णय दिनाँक 04.06.2018
रामचन्द्र बनाम् हीरालाल, वगैरा।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक **04.06.2018**

शरहद मौजा मौलासर तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 469 रकबा 07.17 बीघा भूमि व खसरा नम्बर 819/442 रकबा 28.05 बीघा, के बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादी का वाद दिनाँक 21.02.2018 को प्राथमिक डिक्री सादिर कर विभाजन प्रस्तावित करने का निर्देश तहसीलदार डीडवाना को दिया गया।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्ट कोर्ट कैम्प–मौलासर में पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार डीडवाना ने पत्रांकः 585 दिनाँक 23.03.2018 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन क्रमांक 585 दिनाँक 23.03.2018 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

दावा डिक्री सादिर कर शरहद मौजा मौलासर तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 469 रकबा 07.17 बीघा भूमि व खसरा नम्बर 819/442 रकबा 28.05 बीघा, का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव क्रमांक 585 दिनाँक 23.03.2018 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव क्रमांक 585 दिनाँक 23.03.2018, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–मौलासर

निर्णय आज दिनाँक **04.06.2018** को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–मौलासर

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
न्याय आपके द्वार,2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **133/2013** दायर दिनाँक **21.06.2013**

वादी		प्रतिवादीगण
1. रामचन्द्र पुत्र स्वर्गीय घनश्याम, उम्र–55साल, जाति–ब्राह्मण शर्मा, निवासी–मौलासर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. हीरालाल पुत्र स्वर्गीय घनश्याम, उम्र–66साल, जाति–ब्राह्मण शर्मा, निवासी–मौलासर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. रामचन्द्र पुत्र स्वर्गीय पुसाराम, 3. गोपालराम पुत्र स्वर्गीय पुसाराम, 4. राजेन्द्र पुत्र स्वर्गीय पुसाराम, 5. सोनीदेवी पत्नी स्वर्गीय पुसाराम, 6. नेमीचन्द पुत्र धन्नाराम, समस्त,जाति–जाट, निवासी–छोटी लोसल, तहसील–धोद, जिला–नागौर, राजस्थान, 7. भागीरथराम पुत्र स्वर्गीय हेमाराम, 8. हनुमानाराम पुत्र स्वर्गीय हेमाराम, समस्त,जाति–जाट, निवासी–गैलासर, तहसील–मकराना, जिला–नागौर, राजस्थान, 9. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 53, 188, R.T.Act.

दिनाँक **04.06.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई **उपस्थित पक्षकारान्** ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

दावा डिक्री सादिर कर शरहद मौजा मौलासर तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 469 रकबा 07.17 बीघा भूमि व खसरा नम्बर 819/442 रकबा 28.05 बीघा, का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव क्रमांक 585 दिनाँक 23.03.2018 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव क्रमांक 585 दिनाँक 23.03.2018, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग...........–............... बाबत.......... ....–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **04.06.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–मौलासर

सहायक कलक्टर डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–मौलासर

सहायक कलक्टर डीडवाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2013/133** दायर दिनाँक **21.06.2013**

वादी		प्रतिवादीगण
1. रामचन्द्र पुत्र स्वर्गीय घनश्याम, उम्र–55साल, जाति–ब्रह्मण, निवासी–मौलासर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. हीरालाल पुत्र स्वर्गीय घनश्याम, उम्र–66साल, जाति–ब्राह्मण, निवासी–मौलासर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. रामचन्द्र पुत्र स्वर्गीय पूसाराम, 3. गोपालराम पुत्र स्वर्गीय पूसाराम, 4. राजेन्द्र पुत्र स्वर्गीय पूसाराम, 5. सोनीदेवी पत्नी स्वर्गीय पूसाराम, 6. नेमीचन्द्र पुत्र धन्नाराम, समस्त,जाति–जाट, निवासी–छोटी लोसल, जिला–सीकर, राजस्थान, 7. भागीरथराम पुत्र स्वर्गीय हेमाराम, 8. हनुमानाराम पुत्र स्वर्गीय हेमाराम, समस्त,जाति–जाट, निवासी–गैलासर, तहसील–मकराना, जिला–नागौर, राजस्थान, 9. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–53, 188, R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री मो0 शरीफ शेरानी , अधिवक्ता, वादी की ओर से।
2. श्री मो0 इकबाल, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

—:: **प्राथमिक निर्णय** ::—

दिनाँक **21.02.2018**

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 08 तक की संयुक्त खातेदारी व कब्जाकाश्त की भूमि शरहद मौलासर में खसरा नम्बर 469 रकबा 07.17 बीघा अवस्थित है। वाद व प्रतिवादी संख्या 01 जिनका कि 04.17 बीघा भूमि इस खसरे में स्थित है इस भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 का हक हिस्सा व कब्जा मौजूद है। शरहद मौलासर में खसरा नम्बर 819/442 रकबा 28.05 बीघा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी व कब्जकाश्त की भूमि अवस्थित है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 01 का बराबर–बराबर हिस्सा है। नकल पेश है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 01 सगे भाई हैं जिन्होंने मौलासर में खसरा नम्बर 469 रकबा 07.17 बीघा भूमि में से 60/157 हिस्से की भूमि को बैचाण कर दिया था अब इस खसरे में से शेष रही भूमि 97/157 भाग यानि कि दक्षिणी दिशा की 04.17 बीघा भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 का बराबर हक हिस्सा मौजूद है जिसमें से इसी दक्षिणी 04.17 बीघा भूमि में से ही दक्षिणी भूमि 02.09 बीघा वादी तथा वादी के हिस्से से उत्तर की और स्थित भूमि 02.09 बीघा पर प्रतिवादी संख्या 01 का मौके पर कब्जा काश्त मौजूद है तथा शरहद मौलासर में स्थित खेत ,खसरा नम्बर 819/442 रकबा 28.05 बीघा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी व कब्जाकाश्त की भूमि अवस्थित है जिसमें वादी पूर्वी व दक्षिणी कौने की आधी भूमि यानि कि 14.03 बीघा पर वादी व इसी खसरे की शेष भूमि 14.02 बीघा पर प्रतिवादी संख्या 01 बन्टवारानुसार काबिज है इस खसरे की वादी के कब्जे की भूमि में कुआँ, ट्यूबवेल व मकानात् मौजूद है।

उपर्युक्त वर्णित अनुसार वादी व प्रतिवादीगण मौके पर बन्टवारानुसार काबिज चले आ रहे हैं परन्तु संयुक्त खातेदारी होने से खेत खसरा नम्बर 469 रकबा 07.17 बीघा भूमि में से प्रतिवादीगण खेत खसरा नम्बर 819/442 रकबा 28.05 बीघा भूमि में से प्रतिवादी संख्या 01 बिना विधिवत् बन्टवारा बैचाण करने पर उतारू है जिस बाबत् अभी हाल ही के दिनों में एक माह पहले उक्त खसरान् की भूमि को खरीददारों को बैचाण करने के लिए दिखाई गयी जिनके विरूद्ध यह वाद वास्ते घोषणा हक अधिकार हिस्से व बन्टवारा का लाजमी होने से पेश किया जा रहा है।

शरहद मौलासर में स्थित वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 08 की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 469 रकबा 07.17 बीघा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 819/442 रकबा 28.05 बीघा भूमि में से प्रतिवादी संख्या 01 बिना विधिवत् बन्टवारा कराए बैचाण करने पर उतारू है जिनको जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है। इसलिए वाद पेश है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 133/2013
दायर दिनाँक 21.06.2013, प्राथमिक निर्णय दिनाँक 21.02.2018
बंशीलाल बनाम, जालाराम वगैरा।

बिनाय दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण, वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 469 रकबा 07.17 बीघा में से वादी का हक हिस्सा 02.09 बीघा होने से तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 819/442 रकबा 28.05 बीघा भूमि में से वादी का 1/2 हक हिस्सा यानि कि 14.03 बीघा पूर्वी–दक्षिणी कब्जा व हक हिस्सा होने से व प्रतिवादीगण द्वारा उक्त खेताय में से बिना बन्टवारा करवाए बैचाण की कुचेष्ठा करने से वाद कारण उत्पन्न हो रहा है।

प्रार्थना वादी है कि–

शरहद मौलासर में स्थित खेत खसरा नम्बर 469 रकबा 07.17 बीघा की भूमि 97/157 भाग यानि कि दक्षिणी दिशा की 04.17 बीघा भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 का बराबर–बराबर हक हिस्सा कब्जा घोषित किया जाकर वादी का दक्षिणी भूमि 02.09 बीघा पर वादी तथा वादी के हिस्से से उत्तर की और स्थित भूमि 02.09 बीघा पर प्रतिवादी संख्या 01 हक हिस्सा घोषित किया जाकर इसी अनुरूप बन्टवारा किया जावे तथा शरहद मौलासर में खसरा नम्बर 819/442 रकबा 28.05 बीघा भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के बीच विधिवत् बन्टवारा किया जाकर वादी के कब्जे की पूर्वी व दक्षिणी कौने की आधी भूमि यानि कि 14.03 बीघा व इसी खसरे की शेष भूमि 14.02 बीघा प्रतिवादी संख्या 01 की घोषित की जावे।

स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी जावे कि शरहद मौलासर में स्थित वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 469 रकबा 07.17 बीघा भूमि व वादी व प्रतिवादी संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 819/442 रकबा 28.05 बीघा भूमि में से प्रतिवादी संख्या 01 बिना विधिवत् बन्टवारा कराए भूमि भूमि का बैचाण, विनिमय, हस्तानान्तरण न तो प्रतिवादीगण स्वयं करे और न ही अपने किसी एजेन्ट या प्रतितिधि से ऐसा करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 को वास्ते जवाबदेही हाजिर अदालत जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 09 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 08 को बार–बार जवाब पेश करने का अवसर दिया जाने के बावजूद उनके द्वारा प्रकरण में जवाब पेश नहीं किया जाने के कारण जवाब का अवसर बन्ट किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा पेश पेश किया गया।

बहस विद्वान वकुलाय पक्षकारान् सुनी गई। वकुलाय पक्षकारान् प्राथमिक डिक्री किया जाने पर सहमत हैं। पत्रावली पर उपलब्ध

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 133/2013 दायर दिनाँक 21.06.2013, प्राथमिक निर्णय दिनाँक 21.02.2018 बंशीलाल बनाम्, जालाराम वगैरा।

रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन् किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं साक्ष्य के अनुसार शरहद खाटू खुर्द के विवादग्रस्त भूमि के वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 तक सहखातेदार हैं तथा विधिवत् बन्टवारा करवाने की इस्तदुआ कर रहे हैं। पक्षकारान् सहखातेदार होने के कारण बन्टवारा करवाने के कानूनन् हकदार है।

अतः वादी का वाद प्राथमिक डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

दावा प्राथमिक डिक्री सादिर कर मौजा मौलासर के खेत खसरा संख्या 469 रकबा 07.17 बीघा व खसरा नम्बर 819/442 रकबा 28.05 बीघा का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 तक के मध्य वाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने का आदेश तहसीलदार डीडवाना को दिया जाता है।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

प्राथमिक निर्णय आज दिनाँक **21.02.2018** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner